बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सं0सं0–17–तक0 को0– E-compliance Dashboard-37/2015.....72.....

प्रेषक,

सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
सहरसा।
अपर समाहर्त्ता,
सहरसा।

पटना, दिनांक :–10-01-2022

विषय :– श्री मनोज चौधरी, पिता–स्व0 लखन चौधरी, मौजा–पामा, थाना नं0–53, प्रखण्ड–सोनवर्षा, जिला–सहरसा, बहाल पता–गाँधी पथ वार्ड नं0–08 से प्राप्त आवेदन पर नियमानुकूल कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में श्री मनोज चौधरी, पिता–स्व0 लखन चौधरी, मौजा–पामा, थाना नं0–53, प्रखण्ड–सोनवर्षा, जिला–सहरसा, बहाल पता–गाँधी पथ वार्ड नं0–08 से प्राप्त आवेदन मूल प्रति में संलग्न करते हुए कहना है कि श्री चौधरी के अंकित विषयों की जाँच करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय तथा कृत कार्रवाई से निदेशालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
10/1/22
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः 17–तक0 को0–E-compliance Dashboard-37/2015.....72.....**पटना, दिनांकः** 10-01-2022

प्रतिलिपिः–सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/22
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–तक0 को0–E-compliance Dashboard-37/2015.....72.....**पटना, दिनांकः** 10-01-2022

प्रतिलिपिः– श्री मनोज चौधरी, पिता–स्व0 लखन चौधरी, मौजा–पामा, थाना नं0–53, प्रखण्ड–सोनवर्षा, जिला–सहरसा, बहाल पता–गाँधी पथ वार्ड नं0–08 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/22
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 17–तक0 को0–E-compliance Dashboard-37/2015.....72.....**पटना, दिनांकः** 10-01-2022

प्रतिलिपिः–सहायक निदेशक/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/1/22
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

Government of Bihar
Chief Minister Secretariat
Date-24/08/2021
2021046784
http://cmsonline.bihar.gov.in

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री, महोदय
बिहार पटना

विषय : विभागीय पत्रांक 283 एस0 2 जून 2006 के तहत दलित के साथ उचित न्याय करने के समबन्ध में प्रार्थना पत्र ।

महाशय,

नम आँखों से निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मनोज चौधरी, पिता स्व0 लखन चौधरी साकिन मौजा-पामा, थाना नं0-53, प्रखण्ड-सोनवर्षा, जिला सहरसा व हाल पता गाँधी पथ, वार्ड नं0-08, थाना वो जिला सहरसा मो0 नं0-7739086852, महादलित जाति के पासी समुदाय का हूँ। मैंने अपनी समस्या माननीय को निबंधित डाक द्वारा दिनांक 04.03.2021 को पत्र भेजकर किया था, जिसपर क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि कोरोना लेकर कार्यालय वाधित रहा, और मुझे कार्यालय से सम्पर्क भी नहीं हो सका ।

भूमि राजस्व विभाग के पत्रांक-283 एस, दिनांक 2 जून 2006 से अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनु0 जाति, कमजोर वर्ग के लोगों को जानकारी/जागरूकता के आभाव में आर.एस. खतियान में नाम दर्ज नहीं हो पाया, फलतः रिविजनल खतियान उनके नाम से नहीं बन पाया, और गलत प्रविष्टि ही भूमि विवाद की जड़ है । जिस कारण ही बेदखली के अनेक मामले दलितों के साथ आज भी है ।

दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान दिनांक 19 अगस्त 2021 के मुख्य समाचार में यह छपा कि बिहार में भूमि विवाद के केसों का स्पीडी ट्रायल के माध्यम से समाधान होगा।

मौजा पामा, थाना नं0-53, प्रखंड-सोनवर्षा, जिला सहरसा में जो विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए कागजात शिविर में क्रमांक 178, 179 दिनांक 15.12.2020 में जमा किया गया है जो अति संवेदनशील है, कुछ भू-माफियाओं जो मेरे हिस्से के जमीन का गलत रिविजनल सर्वे दलित का जमीन का करवा लिए है, उनका कहना है कि इस मौजा का रिविजनल सर्वे फाईनल है, यहाँ जो पूर्व में हो गया वही मान्य होगा, कोई कागजात का जाँच पड़ताल नहीं होगा, चाहे जमीन किसी महादलित का ही क्यों ना हो । (जबकि मेरे हिस्सेदारों में मेरे पूर्वजों के द्वारा कभी कोई जमीन बेचा नहीं गया है।) ऐसी परिस्थिति में सरकार जो भूमि विवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिवद्ध है और दलितों को विशेष परिस्थिति में प्राकृतिक न्याय दिलाना चाहती है, और तैयार होने वाले

क.पृ.उ....2

अधिकार-अभिलेख का गहन जाँच-पड़ताल कर सही रैयत का नाम दर्ज करने के लिए प्रतिवद्ध है क्योंकि कैडस्ट्रल खतियान से ही रिविजनल खतियान बना, वह सही-सही होता प्रतीत नहीं लगता है ।

इस विभागीय पत्र के सम्बन्ध में मेरे विद्धान अधिवक्ता के द्वारा श्रीमान् बन्दोवस्त पदाधिकारी सहरसा से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई थी, जिसे लगभग डेढ़ महीना बीत जाने के बावजूद भी जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिविर में जमा कागजात का गहन जाँच करवाते हुए उचित न्याय करवाने का कृपा किया जाय, साथ ही विभाग के द्वारा इस आवेदन पर हुए कार्रवाई से मुझे भी पत्र के माध्यम से अवगत कराने की कृपा किया जाय । जिसके लिए मैं सपरिवार श्रीमान् का सदैव ऋणी रहूँगा ।

आपका विश्वासी

मनोज चौधरी

21/08/2021

अनुलग्नक-

1. विभागीय पत्र की छायाप्रति ।
2. पूर्व में भेजे गये निबंधित पत्र की छायाप्रति ।
3. दैनिक समाचार पत्र की छायाप्रति ।
4. बन्दोवस्त पदाधिकारी से पूछे गये पत्र की छायाप्रति ।

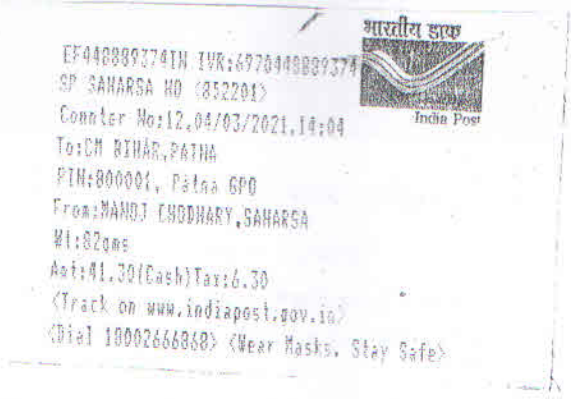

भारतीय डाक

India Post

EF448889374IN IVR:6978448889374
SP SAHARSA HO <852201>
Counter No:12,04/03/2021,14:04
To:CM BIHAR,PATNA
PIN:800001, Patna GPO
From:MANOJ CHODHARY,SAHARSA
Wt:82gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

घोषित की गई है। अतः ऐसे दावों को रद्द करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में अगर न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो सरकार के हितों की रक्षा के लिए प्रभावकारी कार्रवाई की जानी चाहिए।

7. जहाँ तक गैरमजरूआ आम जमीन की जमाबंदी का प्रश्न है, इसके बारे में पूरी जाँच की जाये कि उक्त भूमि के स्वरूप में परिवर्तन के पश्चात् ग्राम समाज से सहमति प्राप्त कर सरकार द्वारा बन्दोबस्ती की गई या मनमाने ढंग से भूतपूर्व जमींदार द्वारा बन्दोबस्ती की गई। उल्लेखनीय है कि जमींदारों को गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती का अधिकार ही नहीं था। अवैध आधार पर कायम ऐसी जमाबंदी भी रद्द करने योग्य है और इन जमाबंदियों में सन्निहित जमीन पर विभागीय परिपत्र ई/XI-1030/53-4097/एल. आर. दिनांक 23.9.53 (प्रतिलिपि संलग्न) के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में केवल राज्य सरकार ही स्वरूप परिवर्तन हुए गैरमजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती कर सकती है।

अनुरोध है कि उक्त निदेशों के आलोक में गैरमजरूआ आम एवं खास जमीन का अवैध जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

25.

विषय : अनुसूचित जाति/जन जाति एवं कमजोर वर्गों के लोगों को उनके स्वामित्व/बन्दोबस्त भूमि का अधिकार-अभिलेख में नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में।

[बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पत्रांक-283-एस, दिनांक 2 जून, 2006, प्रेषक, जी० एस० दत्त, भूमि सुधार आयुक्त-सह आयुक्त एवं सचिव। सेवा में, सभी समाहर्त्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी।]

बिहार काश्तकारी अधिनियम के अध्याय-10 में ग्रामीण सर्वेक्षण कार्य द्वारा रैयतों का अद्यतन अधिकार-अभिलेख तैयार करने का प्रावधान है। ऐसे कई मामले प्रकाश में आये है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, कमजोर वर्गों के लोगों का नाम अधिकार अभिलेख में जानकारी/जागरूकता के अभाव में दर्ज नहीं हो पाया है। वे या तो सर्वेक्षण कार्य प्रक्रिया प्रक्रम में उपस्थित नहीं हो सके या वे अपने आवेदन सही प्रक्रिया में नहीं दे सके। फलतः खतियान उनके नाम से नहीं बन पाता है जो भूमि विवादों का एक महत्वपूर्ण कारण है। गलत नाम दर्ज होने से सरकार की मंशा जो सही एवं शुद्ध अभिलेख के प्रकाशन की है, पूरी नहीं हो पाती है। गलत प्रविष्टि ही भूमि विवाद की जड़ है तथा इस कारण ही बेदखली के अनेक मामले आए हैं।

सरकार की यह मंशा है कि वैसे कमजोर वर्गों के रैयत जिन्हे भूदान, भू-हदबंदी या सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती की गई है तथा ऐसी भूमि जिन पर उनका स्वामित्व है, का नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज होनी चाहिए। इस प्रकार के रैयतों के लिए सरकार विशेष परिस्थिति में उन्हें प्राकृतिक न्याय दिलाना चाहती है तथा उनका नाम तैयार किए जा रहे अद्यतन अधिकार अभिलेख में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अतः जिन अंचलों के जाँच का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है एवं जाँच कार्य में विलंब है उन अंचलों के रैयतों द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को क्षांत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्राप्त कर विधिवत रूप से जाँच कर तथा विलम्ब के कारणों के औचित्यानुसार विचार कर विधिवत् सुनवाई का जाए तथा नियमानुसार वर्तमान में सही एवं शुद्ध अधिकार अभिलेख के निर्माण हेतु संशोधन किया जाए।

जिन अंचलों में जाँच कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है वहाँ बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 106 के अन्तर्गत ही कारवाई सुनिश्चित की जाए।

(818) 24

सेवा में,

श्रीमान् बन्दोवस्त पदाधिकारी,

सहरसा ।

विषय : बिहार विशेष भू-सर्वेक्षण में विभागीय पत्रांक-283 एस0 दिनांक 2 जून 2006 के तहत् महादलित परिवार का साविक खतियान 1902 के अनुरूप गहन जाँच-पड़ताल कर अधिकार अभिलेख में सही-सही रैयत का नाम दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना-पत्र ।

महाशय,

नम आँखों से निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मनोज चौधरी, पिता स्व0 लखन चौधरी, साकिन, मौजा-पामा, थाना नं0-53 (बसनही) सोनवर्षा, सहरसा व हाल पता - गाँधी पथ, वार्ड नं0-08, थाना वो जिला-सहरसा । मो0 नं0-7739086852 अन्तर्गत महादलित जाति के पासी समुदाय का हूँ ।

सर्व विदित है कि सदियों से दलितों के साथ अत्याचार और शोषण हुआ है। मेरे द्वारा वरैठ पंचायत सरकार भवन, प्रखंड-सोनवर्षा, जिला-सहरसा में दिनांक 15.12.2020 को क्रम सं0-178, 179 (छायाप्रति संलग्न) अपनी पुस्तैनी 1902 के खतियान, रिटर्न, साक्ष्य शिविर में जमा किया गया है ।

कुछ भू-माफियाओं के द्वारा यह बोलचाल में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा विशेष भूमि सर्वेक्षण होगा, उसमें सरकार द्वारा हाल रिविजनल सर्वे को आधार मानकर ही जमीन सर्वे होगा ।

जबकि रिविजनल सर्वे के समय ही एक दादाजी की हत्या हो गयी, और मेरे दादाजी को दलित कमजोर जानकार मेरे पुस्तैनी 1902 के कैडस्ट्रल खतियानी जमीन को दबंग लोगों के द्वारा पुराना खाता 67 खतियानी रैयत स्व0 वंशी चौधरी व स्व0 नकछेदी चौधरी (पासी) पे0 स्व0 सीता चौधरी की जमीन को गलत-गलत ढ़ंग से हाल रिविजनल सर्वे कराकर जमीन को गलत-गलत ढ़ंग से बेच दिया गया है -

खाता पुराना	खेसरा पुराना	खाता नया	खेसरा नया	रकवा	बि.क.धुर
67	2	222	3	1.74 डी0	1-19-17
	25	222	103,107	88 डी0	1-0-03
	33	7	125	53 डी0	0-12-03
	53	149	59, 60	64 डी0	0-14-13
	61	222	53	25 डी0	0-5-15

कृ.पृ.उ....2

63	192	48	26 डी0	0-5-19
15	165	498	18 डी0	0-4-02
663	179	1181	68 डी0	0-15-12
688	165	1421	18 डी0	0-4-02
690	179	1417	11 डी0	0-2-10
707	280	1390	11 डी0	0-2-10
732	280	1267	6 डी0	0-1-07
743	165	1256	26 डी0	0-5-19
748	221	1244, 1242	54 डी0	0-12-07
866	14	1343	16 डी0	0-3-13
918	179	1464	11 डी0	0-2-10
978	221	1106	11 डी0	0-2-10
1006	221	1086	10 डी0	0-2-06
1011	221	1498	2 डी0	0-0-09

वर्णित खाता 67 एवं अंकित सभी खेसरा से बने नये खाता खेसरा का जाँच करके प्रपत्र-4 में तो दोनों कागजात को अंकित किया ही जा सकता है, और सभी साक्ष्य देखा जा सकता है कि कैसे खाता खुलवाया गया है और महादलित के जमीन का गलत रिविजनल सर्वे कराकर जमीन से बेदखल करने का साजिश किया गया है ।

मेरे पूर्वजों के 1902 की खतियानी जमीन खतियानी रैयत स्व0 वंशी पासी व स्व0 नकछेदी पासी पे0 स्व0 सीता पासी पुराना खाता 67 एवं पुराना विभिन्न खेसरा, जिसमें की मात्र दोनों परिवार क्रमशः स्व0 वंशी पासी व स्व0 नकछेदी पासी पे0 स्व0 सीता पासी सभी खेसरा में बराबर-बराबर रकवा पर दखलकार हुए, खतियानी रैयत में से दोनों परिवार के वंशज ही शेष बचे हुए हैं । हमलोगों का टाइटल में पासी और चौधरी दोनों मिलता है । (वंशवृक्ष संलग्न है) साविक पुराना खाता 67 के सभी उन्नीस खेसरा में वर्षों पूर्व आपसी कोई लिखित बंटवारा किसी दादाजी तक नहीं हुआ है (वर्षों पूर्व मेरे एक दादा स्व0 मोती चौधरी (पासी) पे0 स्व0 नकछेदी पासी की जान भी जमीन के कारण गयी, जिसका भय परिवार में बना हुआ है) एवं स्व0 उचित पासी पे0 स्व0 वंशी पासी जी की मेरे दादाजी है अक्सर मेहनत-मजदूरी के लिए गाँव से बाहर रहते थे, ताकि परिवार का भरण-पोषण हो सके, सारा जायदाद का देख-रेख परिवार के सदस्यों द्वारा होते रहा अपने हिस्से के मुताबिक कुछ जमीन पूर्वज के द्वारा बिक्री किया गया हो, या क्या वास्तविकता हुआ हमलोगों को जानकारी नहीं है ।

हाल सर्वे खतियान में पुराना खाता 67 से नया खाता 39 के खेसरा 372, 373, 336 कुल रकवा 45 डिसमिल जिसमें की 22.5 डिसमिल दोनों परिवार का हक है जिसका

कृ.पृ.उ....3

हाल जमाबंदी नं0-860 मेरे नाम मनोज चौधरी पिता लखन चौधरी के नाम से है और अद्यतन राजस्व रसीद वर्ष 2020-2021 तक प्राप्त है एवं पुराना रजिस्टर-2 पंजी में जमाबंदी सं0-21 मेरे एक दादा स्व0 मोती चौधरी (पासी) पे0 स्व0 नकछेदी पासी का नाम दर्ज है, जिसपर खाता संख्या एवं खेसरा अंकित नहीं है, जब खाता, खेसरा, रकवा स्पष्ट नहीं है तो जमीन बिक्री व दाखिल-खारिज कैसे हो गया यह तो जाँच का विषय है ।

पुराना खतियान 1902 के अवलोकन एवं वंशवृक्ष से स्पष्ट हो जायेगा कि हर खेसरा में शेष बचे दोनों परिवार के वंशज ही आधा-आधा रकवा के हकदार सदियों पूर्व से ही है ।

इस महानपर्व बिहार विशेष भू-सर्वेक्षण में खतियान में दर्ज सभी 19 खेसरा का बिन्दुवार एक-एक पहलु का गहन जाँच किया जाय कि कैसे जमीन को दबंगई से हड़प लिया गया है और अधिकांश जमीन को गलत-गलत ढ़ंग से बिक्री हाल सर्व के आधार पर कर दिया गया है ।

पुराना खाता 67 के सभी 19 खेसरा का साक्ष्य किसी अन्य के द्वारा प्रस्तुत करने या दावा करने पर मुझे भी अवगत कराया जाय ताकि हमलोग भी सच्चाई को जान सकूँ एवं सरकार द्वारा चलाये गये बिहार विशेष भू-सर्वेक्षण के तहत पत्रांक-283 एस0 दिनांक 20 जून 2006 का शत-प्रतिशत पालन हो सके और मेरे परिवार को उचित न्याय मिलने के साथ-साथ खतियान में सही-सही व्यक्ति का नाम दर्ज हो सके ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरे आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूर्व साविक खतियान के खाता 67 एवं कुल अंकित खेसरा, रकवा 10 बीघा, 9 कट्ठा 13 धुर व हिस्से बराबर का गहन जाँच कर उचित न्याय करते हुए अधिकार अभिलेख तैयार करने का कृपा किया जाय । जिस असीम कृपा के लिए मैं सपरिवार श्रीमान् का सदैव ऋणी बना रहूँगा ।

आपका विश्वासी

(मनोज चौधरी)
पिता-स्व0 लखन चौधरी
साकिन, मौजा-पामा, थाना नं0-53
(बसनही) सोनवर्षा, सहरसा व
हाल पता - गाँधी पथ,
वार्ड नं0-08, थाना वो जिला-सहरसा
मो0 नं0-7739086852

अनुलग्नक-

1. खतियान 1902 की छायाप्रति ।
2. रिटर्न 1941-1942 की छायाप्रति ।
3. हाल सर्वे खतियान की छायाप्रति ।
4. नया रसीद 2020-2021 की छायाप्रति ।
5. पुराना रसीद की छायाप्रति ।
6. वंशवृक्ष की छायाप्रति ।
7. टी.एस. 197/2017 की छायाप्रति ।
8. विभागीय पत्रांक-283 एस0 दिनांक 2 जून 2008 की छायाप्रति ।
9. बिहार विशेष सर्वेक्षण तकनीकि मार्गदर्शिका अधिनियम 2011 नियमावली 2012 के पेज नं0-224 स्पष्टीकरण (i) एवं पेज नं0 225 के (ii) (iii) का छायाप्रति ।
10. दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर पृष्ठ सं0 6 की छायाप्रति ।
11. हिन्दुस्तान समचार पत्र की छायाप्रति ।
12. पुराना खाता एवं नया खेसरा स्वहस्तलिपि की छायाप्रति ।
13. पंचायत सरकार भवन में जमा कागजात की प्राप्ति की छायाप्रति ।

(815) (अ)

प्रपत्र 'क'

(नियम 3 (1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई0 डी0 सं0

कार्यालय प्रयोग के लिए

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी सह बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहरसा

विभाग/कार्यालय भू बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा

1. आवेदक का नाम विजय कुमार गुप्ता
2. पूरा पता अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, सहरसा
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) मैं जानना चाहता हूँ कि बिहार विशेष सर्वेक्षण 2020 में कैडस्टल सर्वे खतियानी रैयत महादलित है और रिविजनल सर्वे मौजा फाइनल है और R.S खतियान जो बना है उसमें C.S खतियानधारी के हिस्सेदार द्वारा जमीन को बिक्री किए बिना ही गलत रिविजनल खतियान प्रकाशित हुआ और वह R.S धारी जमीन को बिक्री भी कर दिए। इस सर्वेक्षण में महादलित के हिस्सेदार द्वारा सरकारी पत्रांक 883-S 8 जून 2006 के तहत शिविर में कागजात जमा कर जमीन पर दावा किया गया है (पत्र संलग्न) तो क्या महादलित को C.S खतियानी जमीन का खाता पुनः जमाबंदी महादलित के नाम से खोला जाएगा या R.S के आधार पर ही खाता खोला जाएगा। [illegible] से संबंधित है। [illegible] सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध कराया जाए।
4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है । यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है ।
5. (1) मैंने 10 (दस) रूपये (शब्दों में) (दस) तिथि 29.6.21 को रसीद सं0 .... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है ।

   (2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश सं0 54F 166350 दिनांक 29.6.21 जो भू बन्दोबस्त पदाधिकारी सहरसा के पक्ष में भुगतेय है। बैंक द्वारा दी गई, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ ।

   (3) मैंने ×......रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प दिनांक .... जिसका क्रमांक ×...... इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है

   (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ । मेरे कार्ड/वांछित सटिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है ।

आवेदक के पत्राचार का पूरा नाम :

विजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय सहरसा
मो0 - 7631490452

स्थान सहरसा

दिनांक 29.6.21

आवेदक का हस्ताक्षर 29.6.21

नोट : गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है । ई-मेल पता, अगर कोई हो :

जो लागु नहीं हो उसे काट दें ।

दूरभाष संख्या :

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com
तरक्की को चाहिए
गुरुवार, 19 अगस्त 2021, पूर्णिया, श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी, विक्रम, 2078, पांच प्रदेश, 21 संस्करण
बिहार की

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग संवेदनशील मामलों का आंकड़ा जुटाएगा

सख्ती : बिहार में भूमि विवाद के केसों का स्पीडी ट्रायल होगा

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य सरकार कोर्ट में लंबित संवेदनशील भूमि विवाद के मामलों का स्पीडी ट्रायल कराने की तैयारी कर रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऐसे संवेदनशील मामलों का आंकड़ा जुटाएगा, जिनके कारण आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। आंकड़ा मिलने पर विभाग संबंधित कोर्ट से उस मामले का स्पीडी ट्रायल कराने का आग्रह करेगा। इसके लिए विभाग अपने यहां प्राथमिकता सूची भी तैयार करेगा। सूची बनाने में चौकीदारों के साथ स्थानीय थानों की मदद ली जाएगी।

राजस्व विभाग ने स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया और मुकदमों की प्राथमिकता तय करना शुरू कर दिया है। सरकार ने ऐसे विवादों पर नजर रखने के लिए राजस्व विभाग में पहली बार एक आईपीएस अधिकारी का पद सृजित कर दिया है। संयुक्त सचिव स्तर के उस पद पर चन्द्रशेखर विद्यार्थी को तैनात भी कर दिया है। इसी के साथ हर सप्ताह थानेदार राजस्व अधिकारियों के साथ भूमि विवादों के मामलों की सुनवाई भी करते हैं। सरकार का प्रयास है कि छोटे-विवाद स्थानीय स्तर पर ही निपटा लिये जाएं। बावजूद अगर मामला कोर्ट में जाता है तो स्पीडी ट्रायल से उसका जल्द निपटारा किया जाए। जमीन से जुड़े मामलों के कोर्ट में जाने पर उसके निपटारे में वर्षों लग जाते हैं। नाजायज लाभ लेने के लिए कई बार जमीन को विवादित बनाकर सही मालिक को परेशान किया जाता है। ऐसी घटनाएं आपराधिक वारदात को जन्म देती हैं। उन्हें जल्द निपटाने के लिए फौजदारी मुकदमों की तरह इनका भी स्पीडी ट्रायल कराने पर गंभीर मंथन चल रहा है।

प्राथमिकता सूची बनेगी

डीसीएलआर को फैसला 30 दिन के भीतर देना होगा

डीसीएलआर किसी भी हाल में दो तारीख से अधिक समय तक के लिए स्टे नहीं लगा सकेंगे। साथ में फैसला भी उन्हें 30 दिन के भीतर देना होगा। इस पहल के बाद अगली कड़ी में सरकार की नजर राज्य के उन संवेदनशील मामलों पर है जिसके कारण अपराध को बढ़ावा मिल रहा है।

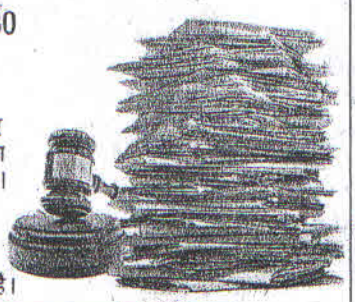

सभी राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन किया जा रहा

राज्य सरकार ने भूमि विवाद कम करने के लिए गंभीर फैसले लिये हैं। अपील के मामलों में डीसीएलआर के हाथ बंधने के बाद सरकार एडीएम स्तर के अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सभी राजस्व न्यायालयों को ऑनलाइन किया जा रहा है। म्यूटेशन संबंधी सीओ के फैसले पर स्टे लगाकर सुनवाई लंबे समय तक टालना कठिन हो गया है।

भूमि विवादों को चार भाग में बांटा गया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक कुमार ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों का वर्गीकरण करने का आदेश दिया था। इसके लिए चार श्रेणियां बनाई गईं। अंचल, अनुमंडल और जिलास्तर पर आने वाले मामलों की छंटनी करने की तयारी उसी आदेश पर चल रही है। व्यक्तिगत भूमि विवाद, कोर्ट केस और विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विवाद अलग श्रेणी में रखे जायेंगे। विवाद खत्म करने के लिये श्रेणीवार ही विधि विकसित की जानी है। इसके अलावा हर अंचल में चार सुरक्षा बल मुहैया कराए गए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में डीआईजी स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है।